छावनी (किराया नियंत्रण विधियों का विस्तार) अधिनियम, 1957

(1957 का अधिनियम संख्यांक 46)[1]

[18 दिसम्बर, 1957]

गृह-आवास के किराए के नियंत्रण और विनियमन से सम्बन्धित विधियों के छावनियों पर विस्तार के निमित्त उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के आठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम—[2][(1)] इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छावनी (किराया नियंत्रण विधियों का विस्तार) अधिनियम, 1957 है ।

[3][(2) इसे 26 जनवरी, 1950 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।]

2. परिभाषा—इस अधिनियम में "छावनी" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जिसे छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 3 के अधीन छावनी घोषित किया गया है ।

3. गृह-आवास के किराए के नियंत्रण और विनियमन से सम्बन्धित विधियों का छावनियों पर विस्तार करने की शक्ति—[4][(1)] केन्द्रीय सरकार ऐसे निर्बन्धनों और परिवर्तनों सहित, जैसे वह उचित समझे, गृह-आवास के किराए के नियंत्रण और विनियमन से सम्बन्धित किसी अधिनियमिति का, जो [5]*** उस राज्य में, जिसमें छावनी स्थित है, प्रवृत्त है, विस्तार किसी छावनी पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर सकेगी :

परन्तु इस प्रकार विस्तारित किसी अधिनियमिति की कोई बात,—

---

[1] यह अधिनियम निम्नलिखित राज्यों की छावनियों पर विस्तारित किया गया :—

ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन ऐक्ट, 1949 द्वारा (21-11-1969 से) हरियाण और पंजाब पर : देखिए अधिसूचना सं० का० नि० आ० 7, दिनांक 21-11-1969 ।

बाम्बे रेंट्स, होटल एंड लाजिंग हाऊस रेंट्स कंट्रोल ऐक्ट, 1947 द्वारा (27-12-1969 से) महाराष्ट्र पर (औरंगाबाद और काम्पटी को छोड़कर) : देखिए अधिसूचना सं० का० नि० आ० 8(ई), दिनांक 27-12-1969 ।

असम अर्बन एरियाज रेंट कंट्रोल ऐक्ट, 1966 द्वारा (7-2-1970 से) असम पर : देखिए अधिसूचना सं० का० नि० आ० 102, दिनांक 7-2-1970 ।

बिहार बिल्डिंग्स (लीज एण्ड, रेंट एविक्शन) कंट्रोल ऐक्ट, 1947 द्वारा (7-2-1970 से) बिहार पर : देखिए अधिसूचना सं० का० नि० आ० 103, दिनांक 7-2-1970 ।

मद्रास बिल्डिंग्स (लीज, रेंट एण्ड कण्ट्रोल) ऐक्ट, 1960 द्वारा (7-2-1970 से) तामिलनाडु पर : देखिए अधिसूचना सं० का० नि० आ० 104, दिनांक 7-2-1970 ।

मैसूर रेंट कंट्रोल ऐक्ट, 1961 द्वारा (7-2-1970 से) मैसूर पर : देखिए अधिसूचना सं० का० नि० आ० 105, दिनांक 7-2-1970 ।

केरल बिल्डिंग्स (लीज और रेंट कंट्रोल) ऐक्ट, 1965 द्वारा (7-2-1970 से) केरल पर : देखिए अधिसूचना सं० का० नि० आ० 106, दिनांक 7-2-1970 ।

सेंट्रल प्रोविन्सेज एण्ड बरार रेग्यूलेशन आफ लेटिंग आफ एकोमोडेशन ऐक्ट, 1946 द्वारा (28-2-1970 से) महाराष्ट्र राज्य में काम्पटी पर : देखिए अधिसूचना सं० का० नि० आ० 2(अ), दिनांक 1-7-1970 ।

राजस्थान प्रमिसेज (कंट्रोल आफ रेंट एण्ड एविक्शन) ऐक्ट, 1950 द्वारा (1-7-1970 से) अजमेर पर : देखिए अधिसूचना सं० का० नि० आ० 320, दिनांक 1-7-1970 ।

यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एण्ड एविक्शन ऐक्ट, 1947 द्वारा (3-4-1972 से) उत्तर प्रदेश पर : देखिए अधिसूचना सं० का० नि०आ० 3(अ) , दिनांक 3-4-1972 ।

यह अधिनियम 1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा (1-10-1963 से) पांडिचेरी पर विस्तारित किया गया ।

[2] 1972 के अधिनियम सं० 22 की धारा 2 द्वारा (2-6-1972 से) धारा 1 को उस धारा की उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया ।

[3] 1972 के अधिनियम सं० 22 की धारा 2 द्वारा (2-6-1972 से) अंत:स्थापित ।

[4] 1972 के अधिनियम सं० 22 की धारा 3 द्वारा धारा 3 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया ।

[5] 1972 के अधिनियम सं० 22 की धारा 3 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) "अधिसूचना की तारीख को" शब्दों का लोप किया गया ।

(क) छावनी के अन्दर के ऐसे परिसरों को लागू नहीं होगी जो सरकार के हैं ;

(ख) छावनी के अन्दर के उन परिसरों की बाबत, जिन्हें सरकार द्वारा पट्टे पर लिया गया है या अधिगृहीत किया गया है, किसी किराएदारी या वैसे ही अन्य किसी सम्बन्ध को, जो सरकार के अनुदान द्वारा सृजित है, लागू नहीं होगी ; अथवा

(ग) छावनी के अन्दर के किसी गृह को, जिसको छावनी (गृह-आवास) अधिनियम, 1923 (1923 का 6) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा पट्टे पर विनियोजित किया गया है, या किया जा सकेगा,

लागू नहीं होगी ।

[1][(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अधिनियमिति का विस्तार ऐसी पूर्ववर्ती तारीख या भविष्य की तारीख से किया जा सकेगा जो केन्द्रीय सरकार उचित समझे :

परन्तु ऐसा कोई विस्तार,—

(क) ऐसी अधिनियमिति के प्रारम्भ से, अथवा

(ख) छावनी की स्थापना से, अथवा

(ग) इस अधिनियम के प्रारम्भ से,

पूर्व की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, नहीं किया जाएगा ।

(3) जहां कि गृह-आवास के किराए और विनियमन के नियंत्रण से सम्बद्ध किसी अधिनियमिति का, जो किसी राज्य में प्रवृत्त हो, विस्तार किसी छावनी पर किसी ऐसी तारीख से किया गया है, जो उस तारीख से पूर्ववर्ती हो, जिसको ऐसा विस्तार किया गया है (जिसे इसके पश्चात् "पूर्ववर्ती तारीख" कहा गया है) वहां, वह अधिनियमिति, जैसी कि वह ऐसी पूर्ववर्ती तारीख को प्रवृत्त हो, उस छावनी को लागू होगी और जहां कि ऐसी कोई अधिनियमिति पूर्ववर्ती तारीख के पश्चात् किन्तु छावनी (किराया नियंत्रण विधियों का विस्तार) संशोधन अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ से पूर्व किसी भी समय संशोधित की गई है वहां यथा संशोधित वह अधिनियमिति उस तारीख को, और से, जिसको वह अधिनियमिति प्रवृत्त हुई थी जिसके द्वारा ऐसा संशोधन किया गया था, छावनी को लागू होगी ।

(4) जहां कि गृह-आवास के किराए और विनियमन से सम्बद्ध किसी अधिनियमिति का (जिसे इसमें इसके पश्चात् "किराया नियंत्रण अधिनियम" कहा गया है) किसी छावनी पर विस्तार करने से पूर्व—

(i) उस छावनी में के किसी गृह-आवास के विनियमन के लिए या उससे बेदखली के लिए कोई डिक्री या आदेश, अथवा

(ii) ऐसी डिक्री या आदेश के निष्पादन सम्बन्धी कार्यवाहियों में कोई आदेश, अथवा

(iii) ऐसी गृह-आवास के किराए के नियंत्रण या अन्य प्रसंगति संबंधी कोई आदेश,

उस राज्य में, जिसमें वह छावनी स्थित है, गृह-आवास के किराए के नियंत्रण और विनियमन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी द्वारा किया गया है वहां उस डिक्री या आदेश के विषय में, उस तारीख को और से, जिसको किराया नियंत्रण अधिनियम का उस छावनी में विस्तार किया गया था, यह समझा जाएगा कि वह उस छावनी पर यथाविस्तारित किराया नियंत्रण अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन वैसे ही किया गया है मानो इस प्रकार यथाविस्तारित उक्त किराया नियंत्रण अधिनियम उस तारीख को, जिसको वह डिक्री या आदेश किया गया था, उस छावनी में प्रवृत्त रहा हो ।]

4. महू छावनी पर मध्य भारत स्थान नियंत्रण विधान, 1955 का विस्तार—[2][(1)] मध्य भारत स्थान नियंत्रण विधान, 1955 (1955 का म० भा० विधान सं० 23) का, जैसा कि वह मध्य प्रदेश राज्य के उस भाग में प्रवृत्त है जो नवम्बर, 1956 के प्रथन दिन के ठीक पूर्व मध्य भारत राज्य था, निम्नलिखित परिवर्तनों सहित, महू छावनी पर एतद्द्वारा विस्तार किया जाता है और उसे उसमें प्रवृत्त किया जाता है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम में,—

(क) "इस विधान के प्रभावशील होने" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं वहां, "इस विधान के छावनी पर विस्तारण" शब्द रखे जाएंगे :

(ख) धारा 1 में, उपधारा (2), (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(2) इसका विस्तार महू की छावनी पर है ।

---

[1] 1972 के अधिनियम सं० 22 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1972 के अधिनियम सं० 22 की धारा 4 द्वारा (2-6-1972 से) धारा 4 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया ।

(3) यह दिसम्बर, 1957 के 31वें दिन तक प्रभावशील रहेगा : किन्तु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में विज्ञप्ति द्वारा, समय-समय पर निदेश दे सकेगी कि यह ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा, जो विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट की जाए, परन्तु वह समस्त अवधि, जिसके दौरान यह प्रभावशील रह सकेगा, दिसम्बर, 1957 के 31वें दिन से दो वर्ष से अधिक नहीं होगी ।" ;

(ग) धारा 2 में, उपधारा (1) के खंड (ख) में "म्युनिसिपालिटी" शब्द के स्थान पर "छावनी बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) धारा 3 के खण्ड (ङ) में, "म्युनिसिपालटी" शब्द के स्थान पर "छावनी बोर्ड" शब्द रखा जाएगा ;

(ङ) धारा 4 में—

(i) खंड (छ) में, "उस नगर अथवा नगरी" शब्दों के स्थान पर "छावनी" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) खंड (ज) में, "उस नगर अथवा नगरी" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं वहां, "छावनी" शब्द तथा "लागू किए" शब्दों के स्थान पर "विस्तारित किए" शब्द रखे जाएंगे ;

(च) धारा 6 में,—

(i) उपधारा (1) में, "लश्कर नगर (ग्वालियर व मुरार सहित), इन्दौर, उज्जैन या रतलाम में स्थित हो" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा,

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा, ;

(छ) धारा 14 में, "किसी नगर से उस विधान के आदेशों का लागू होना समाप्त हो जाए या" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ज) धारा 15 में, "स्थापित नहीं किया जाएगा" शब्दों के पश्चात् "और यदि स्थापित कर दिया गया है तो जारी नहीं रखा जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(झ) धारा 18 में, उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ;

(ञ) धारा 21 में, "या दी हुई समझी गई" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ट) धारा 22 में, "या दी हुई समझी गई" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ठ) धारा 23, धारा 27 और अनुसूची का लोप किया जाएगा ;

(ड) धारा 24 और धारा 25 में, "या दी हुई समझी गई" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[1][(2) मध्य भारत स्थान नियंत्रण विधान, 1955 (1955 का मध्य भारत विधान सं० 23) के महू छावनी में प्रारम्भ के ठीक पूर्व उस छावनी में प्रभावशील गृह-स्थान के भाड़े के नियंत्रण और विनियमन से सम्बन्धित किसी भी विधि का, उस छावनी में ऐसी विधि के प्रारम्भ से या इस विधान के प्रारम्भ से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, इस विधान की धारा 3 के अधीन उस छावनी पर विस्तार किया जाएगा और सदैव ही विस्तार हुआ समझा जाएगा :

परन्तु ऐसी कोई भी विधि मध्य भारत स्थान नियंत्रण विधान, 1955 (1955 का मध्य भारत विधान सं० 23) के महू की छावनी में प्रारम्भ को, और से, उस छावनी में प्रभावशील नहीं रहेगी और न ही प्रभावशील रही समझी जाएगी ।

(3) जहां कि उपधारा (2) के अधीन किसी विधि के महू की छावनी पर विस्तारण के पूर्व,—

(i) उस छावनी में के किसी गृह-स्थान के विनियमन के लिए या उससे निष्कासन के लिए कोई डिक्री या आज्ञा, अथवा

(ii) ऐसी डिक्री या आज्ञा के निष्पादन सम्बन्धी कार्यवाहियों में कोई आज्ञा, अथवा

(iii) ऐसे गृह-स्थान के भाड़े के नियंत्रण अथवा अन्य प्रसंगति-सम्बन्धी कोई आज्ञा,

गृह-स्थान के भाड़े के नियंत्रण और विनियमन के लिए उस छावनी में तत्समय प्रभावशील किसी विधि के अनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी द्वारा की गई वहां उस डिक्री या आज्ञा के विषय में, ऐसी विधि के उस छावनी में प्रारम्भ को, और से, यह समझा जाएगा कि वह प्रथम वर्णित विधान के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन वैसे ही की गई है मानो उक्त विधान उस तारीख को, जिसको वह डिक्री या आज्ञा की गई थी, उस छावनी में प्रभावशील हो ।]

———

[1] 1972 के अधिनियम सं० 22 की धारा 4 द्वारा (2-6-1972 से) अंत:स्थापित ।